

ग्रा। निगा। रीवा। भू-या। 2017/4000  
 न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर खण्डपीठ रीवा,  
 जिला—रीवा (म0प्र0)



प्र  
30।

- 1—श्रीमती सुखमन्ती पत्नी स्व0 धिरवा प्रजापति उम्र—65 वर्ष, पेशा—घरुकाय
- 2—राजभान कुम्हार पिता स्व0 धिरवा प्रजापति उम्र—28 वर्ष, पेशा—खेती  
 दोनो निवासी खैरहन, पोस्ट—खैरहन, तहसील—सिरमौर, थाना—सिरमौर, जिला—रीवा  
 (म0प्र0)

आवेदकगण | निगरानी

विरुद्ध

- 1—गणपति पिता रत्ई प्रजापति उम्र—45 वर्ष, पेशा—खेती
- 2—कल्लू प्रजापति पिता रत्ई प्रजापति उम्र—50 वर्ष, पेशा—खेती  
 दोनो निवासी खैरहन, पोस्ट—खैरहन, तहसील—सिरमौर, थाना—सिरमौर, जिला—रीवा  
 (म0प्र0)

\_\_\_\_\_ अनावेदकगण

आवेदक राजभान कुम्हार  
देश। 25.10.17 (म)

राजस्व निरीक्षक मण्डल सिरमौर  
वृत्त तह0 सिरमौर के प्रकरण  
क्र0—122/अ—12/16—17 आदेश  
दिनांक 15.09.17 के विरुद्ध निगरानी  
याचिका

म0प्र0भू0रा0सं0 की धारा 50 के  
अधीन निगरानी याचिका

आवेदकगण का विनम्र निवेदन नीचे लिखे अनुसार हैः—

- 1— राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश विधि एवं प्रक्रिया एवं धारा 129 के  
 प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।
- 2— राजस्व निरीक्षक ने भूमि खसरा क्र0 371/1 और 371/3 स्थित ग्राम खैरहन  
 की स्मीमांकन की जो कथित कार्यवाही को दिनांक 10.06.2017 को होना कहा

(17)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-गवालियर

अनुवृति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक तीन/निगरानी/रीवा/भूरा/17/4000

सुखवन्ती बनाम गणपति

स्थान तथा दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं अधिभाषकों  
आदि के हस्ताक्षर

20-06-18  
रीवा कैम्प

आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। समय समय पर तीन बार आवाज लगवाई गयी। आवेदक को सुनवाई दिनांक की जानकारी होने के उपरांत प्रकरण में उपस्थित नहीं हुए। अतः प्रकरण अदम पैरवी में इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है।

म्यू/20/6/16  
सदस्य